## ब्रीफ न्यूज

### उपराष्ट्रपति से मिलीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू

**रांची.** झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की. यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी.राज्यपाल ने झारखंड में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी.

### झामुमो ने जिलाध्यक्ष को हटाया

**रांची.** झामुमो ने पश्चिमी सिंहभूम के जिलाध्यक्ष भुवनेश्वर महतो को पार्टी से निलंबित कर दिया है. श्री महतो ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर किया था. इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो गयी है. पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन ने मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है. इस मामले की जांच के लिए पार्टी ने दो सदस्यीय जांच कमेटी भी बनायी है. बहरागोड़ा विधायक कुणाल षाडंगी और पूर्व विधायक अमित कुमार जांच कर रिपोर्ट देंगे. पार्टी अध्यक्ष ने जांच कमेटी को एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

### मुख्य सचिव से मिला जर्नलिस्ट एसोसिएशन

**रांची.** झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी से मिला. प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में झारखंड में पत्रकारों की हत्या, झूठे मुकदमे एवं हमलों में वृद्धि हुई है. श्री सिंह ने कहा कि पिछले साल मुख्यमंत्री ने पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा एवं पत्रकार पेंशन योजना लागू करने की बात कही थी. इसके लिए पहल की जाये. इस दौरान गोड्डा के पत्रकार ज्वाला मिश्रा के विरुद्ध अंचलाधिकारी द्वारा झूठे मुकदमे को भी मुख्य सचिव के सामने उठाया गया. मुख्य सचिव ने सभी मामलों में उचित पहल करने का आश्वासन दिया. प्रतिनिधिमंडल में शाहनवाज हसन, ललन पांडेय, दिवाकर श्रीवास्तव, दिवाकर नाथ शाहदेव आदि शामिल थे.

### कौशल विकास मिशन सोसाइटी को दो अवार्ड

**रांची.** देशव्यापी कौशल विकास कार्यक्रम में टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल ने झारखंड के कौशल विकास कार्यक्रम को दो विशेष अवार्ड से सम्मानित किया है. पहला अवार्ड राज्य में स्किल इको सिस्टम के संवर्द्धन में उच्चतम प्रदर्शन के लिए राज्य श्रेणी में दिया गया. इसके अलावा सोसाइटी के सीइओ अमर झा को झारखंड के स्किल इको सिस्टम के संवर्द्धन के लिए मेंटरशिप श्रेणी के लिए अवार्ड दिया गया. दोनों अवार्ड शुक्रवार को नयी दिल्ली में आयोजित द्वितीय टेलीकॉम मंथन 2019 के अवसर पर काउंसिल के सीइओ लेफ्टिनेंट जेनरल एसपी कोचर ने दिया. इस मौके पर वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव एन सिवासाइलम उपस्थित थे. मेंटरशिप श्रेणी में एआइसीटीइ के उपाध्यक्ष एमसी पुनिया को भी अवार्ड दिया गया. उल्लेखनीय है कि कौशल विकास विभाग व टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा झारखंड में काम करने के लिए दोनों के बीच एमओयू भी हुआ है. इसके तहत राज्य में आठ केंद्र संचालित हैं. इसमें अब तक कुल 2349 युवाओं को टेलीकॉम सेक्टर में प्रशिक्षण दिया गया. साथ ही 1912 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी भी दी गयी.

कौशल विकास मिशन सोसाइटी के सीइओ अमर झा अवार्ड के साथ

### श्रावणी मेला के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग

**रांची.** झारखंड पैसेंजर्स एसोसिएशन के मानद सचिव एवं रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य प्रेम कटारूका ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिख कर श्रावणी मेला के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है. उन्होंने रांची, धनबाद, पलामू सहित देश के प्रमुख स्टेशनों से देवघर एवं जसीडीह स्टेशन के तीर्थयात्रियों के आवागमन के लिए पूरे सावन माह में यात्री गाड़ी का परिचालन करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा सावन माह में विशेष व्यवस्था नहीं करने से रेगुलर यात्री गाड़ियों पर लाखों तीर्थयात्रियों का दबाव बढ़ जाता है. उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि रेल मंत्री पीयूष गोयल को भी भेजी है.

### रेल मंत्री से मिले महेश पोद्दार व समीर उरांव

**रांची.** राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार और समीर उरांव ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की. सांसदों के साथ छत्तीसगढ़ के सांसद रामविचार नेताम भी रेल मंत्री से मिलने पहुंचे थे. सांसदों ने झारखंड और छत्तीसगढ़ की दो महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को शुरू करने की मांग की. तीनों सांसदों ने लोहरदगा से गुमला होते हुए जशपुर, कुनकुरी, कोरबा नयी रेल लाइन के सर्वे शुरू करने की मांग की. इसके अलावा बरवाडीह, अंबिकापुर, चिरीमिरी रेल लाइन के अधूरे काम को पूरा करने की बात कही. बताया कि आजादी से पहले शुरू हुई यह परियोजना पैसे के अभाव में अधूरी है. श्री गोयल ने भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को देखेंगे. इस संबंध में कोयला मंत्रालय से भी बात की जायेगी. परियोजना को पूरा करने के लिए विभाग कोयला मंत्रालय की भी मदद लेगा.

### मेकन व टिनोवा मेटल्स के बीच एमओयू

**रांची.** मेकन ने मिटेक-2019 जर्मनी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी में माध्यमिक धातु कर्म के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए वीडी, वीएडी, वीओडी और आरएच सिस्टम के लिए टिनोवा मेटल्स के साथ एमओयू किया है. इस अवसर पर मेकन के सीएमडी अतुल भट्ट, निदेशक तकनीकी पीके सारंगी, निदेशक वाणिज्य गौतम चटर्जी, निदेशक वित्त आर जुनेजा सहित मेकन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बताते चलें कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 29 जून तक चलेगा, जिसमें मेकन इस्पात मंत्रालय की ओर से इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है.

# एक जगह जमीन नहीं मिली, तो देवीपुर में 21 प्लॉट के लिए दो एनजीओ के नाम से अलग-अलग दिया आवेदन

- नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज के नाम पर 21 प्लॉट के लिए दिया आवेदन
- प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी ने मंजूरी दी, अब बिडिंग में हिस्सा लेकर लगायेगी बोली
- चेंबर ने उठाया सवाल एक ही कंपनी को इतना प्लॉट क्यों

**सुनील चौधरी** ▷ रांची

झारखंड में नर्सिंग, फार्मेसी, बीएड कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए एक जगह जमीन का बड़ा टुकड़ा लगभग 25 एकड़ नहीं मिला तो ग्वालियर के एनजीओ ने जमीन हासिल करने के लिए नायाब तरीका इस्तेमाल किया. देवघर स्थित देवीपुर औद्योगिक क्षेत्र में साक्षी सिंह और शशि सिंह ने शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए दो संस्थानों के नाम से 21 प्लॉट के लिए आवेदन दे दिया. इन 21 प्लॉट की जमीन लगभग 25 एकड़ के करीब है. देवघर में ही संताल-परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास (एसपीयाडा) की हाल ही में हुई प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी(पीसीसी) ने इन संस्थानों की मंजूरी भी दे दी है. अब केवल अधिक बोली लगाकर जमीन हासिल करने की प्रक्रिया ही बाकी है. इधर फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज(एफजेसीसीआइ) ने एक ही कंपनी को एक साथ 21 प्लॉट दिये जाने पर गड़बड़ी की आशंका जतायी थी. वहीं संताल-परगना के उद्यमियों ने एक ही संस्था द्वारा बोली लगाकर जमीन हासिल करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है.

प्रभात खबर ने जब 21 प्लॉट के मामले को लेकर पड़ताल की तो पाया गया कि ग्वालियर में शैक्षणिक संस्थान संचालित कर रहे परमार एजुकेशन ग्रुप झारखंड में एक ही स्थान पर शैक्षणिक संस्थान खोलना चाहता है. वे 200 करोड़ रुपये निवेश करना चाहते हैं. इसके लिए उन्हें 25 एकड़ जमीन की जरूरत थी. पर एक जगह जमीन नहीं मिल रही थी. उन्होंने कई बार सरकार के पास भी इसके लिए आवेदन दिया. पर जमीन न मिलने की वजह से संस्थान ने नायाब तरीका निकाला. फरवरी माह में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(जियाडा) द्वारा देवीपुर औद्योगिक क्षेत्र के 63 प्लॉटों के आवंटन के लिए आवेदन मांगा था. प्लॉट के लिए आवेदन सिंगल विंडो सिस्टम के ऑनलाइन पोर्टल पर दिया जाता है. ग्वालियर स्थित एनजीओ निर्मल सेवा आश्रम और शिखा शालिनी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति के साक्षी सिंह एवं शशि सिंह के नाम कुल 21 प्लॉट के लिए आवेदन दिये गये हैं. इनके द्वारा फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, हायर एजुकेशन कॉलेज खोलने के लिए आवेदन दिये गये हैं. हालांकि एसपीयाडा की प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी ने परियोजना की मंजूरी दे दी है.अब बिडिंग होगा और जो ज्यादा बोली लगायेगा उसे प्लॉट आवंटित किया जायेगा.

### ऐसे कुल 21 प्लॉट के लिये आवेदन दिये गये हैं

| यूनिट का नाम | आवेदक का नाम | परियोजना | प्लॉट नंबर | प्लॉट(वर्ग फीट में) | निवेश(लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| निर्मल सेवा आश्रम | साक्षी सिंह | फार्मेसी एंड नर्सिंग कॉलेज | एफ-1 | 30000 | 380 |
| **शिखा शालिनी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति** | **साक्षी सिंह** | **नर्सिंग एंड फार्मेसी कॉलेज** | **एफ-10** | **30000** | **427** |
| शिखा शालिनी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति | शशि सिंह | नर्सिंग एंड फार्मेसी कॉलेज | एफ-4 | 30000 | 427 |

### छोटे उद्योग को प्राथमिकता मिले : चेंबर अध्यक्ष

एफजेसीसीआइ के अध्यक्ष दीपक कुमार मारू ने कहा कि वर्तमान में छोटे एवं कुटीर स्थानीय उद्योग जो रनिंग हैं, उन्हें भूमि आवंटन में प्राथमिकता मिले. शिक्षण संस्थान, होटल, हॉस्पिटल के लिए अलग एरिया को चिन्हित किया जाये. झारखंड चैंबर ऑफ़ कॉमर्स का यह भी स्पष्ट मानना है कि भूमि आवंटन के लिए ऑक्शन सिस्टम को हटाना ही बेहतर होगा, तभी छोटे छोटे उद्योग स्थापित होंगे. केवल बड़े उद्योगों को प्राथमिकता में लेना उचित नहीं है.

### ऑनलाइन कोई भी आवेदन कर सकता है : सचिव

उद्योग सचिव के रविकुमार ने कहा कि जब प्लॉट आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाया जाते हैं तो कोई भी अपनी परियोजना के लिए आवेदन दे सकता है. अस्पताल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तकनीकी शैक्षणिक संस्थान सरकार की प्राथमिकता सूची में है, तो इसे औद्योगिक क्षेत्र में भी खोला जा सकता है.

### क्या कहते हैं संस्था के अध्यक्ष

परमार एजुकेशन ग्रुप ग्वालियर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह परमार का कहना है कि दोनों संस्था उनका एनजीओ है. साक्षी सिंह उनकी पुत्री व शशि सिंह पत्नी है. वे झारखंड में एक बड़ा एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं. 25 एकड़ जमीन की जरूरत है. पर कहीं मिल नहीं रही थी. तब इंडस्ट्रियल एरिया में ऑनलाइन अलग-अलग आवेदन दिया है कि संस्थान खोलने लायक आवश्यक जमीन मिल जाये.

## पीएम किसान योजना. केंद्र को भेज दी पिछले साल की सूची

# कृषि विभाग की गलती से अयोग्य को भी मिला लाभ

- पौने पांच लाख से अधिक किसानों को मिला लाभ, हो रही मामले की जांच
- मामला सामने आने के बाद अब विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं

**मनोज सिंह** ▷ रांची

कृषि विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अयोग्य लाभुकों को भी मिल गया. इससे विभाग की परेशानी बढ़ गयी है. इस योजना के लाभुकों के चयन में कृषि विभाग ने केंद्र के दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया गया. आनन-फानन में पौने पांच लाख लाभुकों के खाते में दो-दो हजार रुपये ट्रांसफर कर दिये गये. लाभुकों की यह सूची पिछले साल (2018) की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से तैयार कर ली गयी थी. इसमें कई वैसे लाभुकों को भी पैसा मिल गया, जिनके पास जमीन ही नहीं है. वहीं, कई ऐसे लाभुक भी हैं, जो टैक्स देते हैं या सरकारी सेवा से रिटायर हुए हैं. मामला सामने आने के बाद अब विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. एक वरीय अधिकारी ने तो स्वीकार किया कि गलती सुधारने की कोशिश हो रही है. सरकार वैसे लाभुकों को चिह्नित करने की कोशिश कर रही है, जो योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनके खाते में पैसा चला गया है.

**लाभुकों के खाते में 100 करोड़ :** इस स्कीम के लाभुकों के खाते में 100 करोड़ रुपये ट्रांसफर हो गये हैं. राज्य सरकार का दावा है कि योजना के करीब पौने पांच लाख लाभुक हैं. इममें से चार लाख को पहली व दूसरी किस्त मिल चुकी है. सरकार 35 लाख लाभुकों का आंकड़ा छूने के लिए नये लाभुकों की सूची भी तैयार कर रही है.

**प्रभात खबर ने की पड़ताल :** मामला प्रकाश में आने के बाद प्रभात खबर ने कांके के कई गांवों में लोगों से मुलाकात की और योजना के सिलसिले में जानकारी ली. पिठोरिया में कई ऐसे मामले प्रकाश में आये, जिनके परिवार के कई सदस्यों को इस योजना में दो-दो हजार रुपये मिले हैं. रैयत समन्वय समिति के सदस्य रितेश दीपक के पिता ने भी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था. उनका नाम पंजी-2 में भी है. लेकिन उनको पैसा नहीं मिला. गांव के प्रगतिशील किसान नकुल महतो ने पांच एकड़ जमीन के कागजात के साथ इस योजना के लिए आवेदन दिया था. उनके खाते में भी एक भी पैसा नहीं आया. यही स्थिति एस केशरी और आरके मिश्र की भी है. कांके के ही गारू गांव में इसी तरह की शिकायत मिली. वहां के कृषक मित्र ने स्वीकार किया कि उनके और उनकी पत्नी दोनों के खाते में पहली किस्त की राशि गयी है. जबकि जमीन केवल उसके नाम से है. इसी गांव के कई लाभुकों ने स्वीकार किया कि जमीन उनके नाम से नहीं है, लेकिन उन्हें पैसा मिला है.

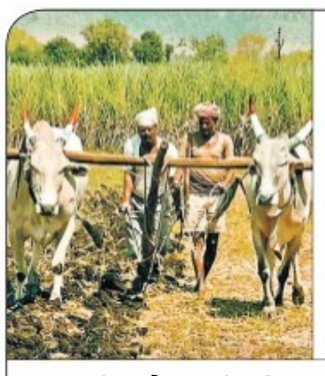

### क्या था नियम

भारत सरकार ने यह योजना एक दिसंबर 2018 को लागू की थी. योग्य किसानों की पहचान का कट ऑफ डेट एक फरवरी 2019 रखा गया था. इसमें जिक्र किया गया था कि लाभुक वही होंगे, जिनका नाम सरकार के पंजी-2 में हो. वैसे किसान लाभुक नहीं होंगे, जो वर्तमान या पूर्व में किसी संवैधानिक पद पर रहे हों. जो मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, वर्तमान या पूर्व मेयर या जिला पंचायत के अध्यक्ष हों. किसी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान से रिटायर होनेवाले कर्मी और अधिकारी (वर्ग चार को छोड़कर), सेवानिवृत्त वैसे कर्मी जिनकी मासिक आय 10 हजार रुपये से अधिक हो, जो टैक्स देने वाले हो तथा प्रोफेशनल्स (डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट, अधिवक्ता आदि) हैं, को इसका लाभ नहीं मिलेगा.

### क्या थी आवेदन की प्रक्रिया

इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सभी अंचल कार्यालय से पंजी-2 में नाम के आधार पर एक आवेदन फॉर्म तैयार किया गया था. आवेदन फॉर्म पंचायत पर बनी रैयत समन्वय समिति (इसी काम के लिए बनायी गयी है) को दिया गया था. रैयत समन्वय समिति को संबंधित लोगों के पास जाकर आवेदन फॉर्म में एकाउंट नंबर, आधार नंबर आदि भरवाना था. इसे अंचल कार्यालय में जमा करना था. अंचलाधिकारी के सत्यापन के बाद इसे उपायुक्त के पास जाना था. वहां से अनुमोदन के बाद राज्य स्तर पर इसकी इंट्री करायी जानी है.

### अब किया जा रहा है लाभुक चयन प्रक्रिया में बदलाव

भारत सरकार ने राज्य सरकार के आग्रह पर इस स्कीम के लाभुकों के चयन के लिए विशेष छूट दी है. अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों का चयन भी मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की तर्ज पर होगा. इस योजना के लाभुक का चयन वंशावली के आधार पर होगा. खतियान अपडेट नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने वंशावली के आधार पर लाभुक चयन करने का निर्णय लिया है. इससे 35 लाख किसानों को लाभ देने की योजना है.

# प्रदीप यादव के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी करने की अपील

- जेवीएम नेत्री से यौन उत्पीड़न का मामला, आज सुनवाई

**संवाददाता** ▷ देवघर

जेवीएम नेत्री से यौन उत्पीड़न के केस में विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ आइओ ने शुक्रवार को सीजेएम गरिमा मिश्रा की अदालत में वारंट प्रे किया है. आइओ ने इस आशय का पिटीशन दिया व एक प्रति सरकारी अधिवक्ता को भी उपलब्ध कराया. कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए रख लिया है. शनिवार को वारंट के आवेदन पर सुनवाई होगी. अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद आदेश पारित किया जायेगा. ऐसे में विधायक प्रदीप यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

मालूम हो कि जेवीएम की महिला नेत्री ने प्रदीप यादव के विरुद्ध यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महिला थाना में एफआइआर दर्ज कराया है, जिसमें विधायक के अलावा शिव सृष्टि पैलेस होटल के प्रबंधक व अन्य को भी आरोपी बनाया गया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रदीप यादव की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गयी थी, जिसे सुनवाई के लिए सेशन जज एक मो नसीरुद्दीन की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया. उक्त अदालत द्वारा महिला थाना से केस डायरी मांगी गयी थी, जिसके आने के बाद अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनी गयी. वहीं 17 जून को आरोपी प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका 522/2019 खारिज कर दी गयी. इधर, याचिका खारिज होने के बाद आइओ ने गिरफ्तारी के लिए गतिविधियां तेज की व वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन दिया, जिसे सुनवाई के लिए रखा गया है. इस केस में प्रदीप यादव के विरुद्ध गैरजमानती धाराएं लगायी गयी है.

### जिन वजहों से पुलिस ने मांगा है प्रदीप यादव के खिलाफ वारंट

- नोटिस और मौखिक निर्देश के बावजूद प्रदीप यादव ने केस में प्रयुक्त मोबाइल पुलिस के पास जांच के लिए जमा नहीं कराया गया. जिसके कारण मोबाइल की फॉरेंसिक जांच नहीं हो पायी. इस वजह से अनुसंधान में बाधा उत्पन्न हो रही है.
- केस में पीड़ित महिला ने अपनी जान का खतरा होने और सुरक्षा प्रदान करने को लेकर पूर्व में पुलिस को एक आवेदन दिया था.
- केस में गवाह अजय मंडल का भी एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्हें बयान बदलने की धमकी दी गयी है. इसके साथ ही उनके द्वारा सुरक्षा की मांग की गयी है.

# हज यात्रियों को 24 घंटे पहले करनी पड़ेगी रिपोर्ट

**संवाददाता** ▷ जमशेदपुर/रांची

हज यात्रा 2019 पर मक्का-मदीना जानेवाले झारखंड के यात्रियों को 24 घंटे पहले हवाई अड्डा पर बनाये गये कार्यालय में रिपोर्ट करनी होगी. ऑनलाइन बुकिंग करानेवाले हज यात्री भी 24 घंटे पहले पहुंच कर पेमेंट संबंधी कागजात दिखाकर बोर्डिंग संबंधी निर्देश हासिल कर सकते हैं. ऑनलाइन बुकिंग करानेवालों को दो दिनों के अंदर-24 घंटे पहले उड़ान संबंधी जानकारी प्रदान कर दी जायेगी.

धातकीडीह स्थित मदरसा फैजुल उलूम हज कमेटी के मास्टर ट्रेनर हाजी मोहम्मद युसूफ ने बताया कि एक कवर ग्रुप के हज यात्रियों को अब नये ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकता है. रिहायशी कैटेगरी (एनसीएनटीजेड-अजीजिया) में भी परिवर्तन नहीं हो पायेगा. यात्रा से पहले अपनी शारीरिक जांच करायें. वैक्सीनेशन, दिमागी बुखार, पोलियो की खुराक लें और साथ में अन्य जरूरी दवाएं अपने साथ रखें. उड़ान की दी गयी तारीख में तब्दीली केवल हाजी, उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु, शदीद बीमारी या हादसा होने पर ही स्वीकार की जायेगी. बुकिंग कराने के बाद भी यदि किसी कारणवश फ्लाइट यदि छूट जाती है तो दोबारा यात्रा के लिए 25 हजार रुपये कोर बैंकिंग के माध्यम से हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा कराने होंगे, जिसके बाद उन्हें अगली उड़ान में सीट प्रदान की जायेगी. सभी यात्रियों से स्टैंडर्ड साइज व हल्के वजन के दो सूटकेस और एक हैंड बैग के साथ सफर करने की अपील की गयी है.

## निशिकांत की याचिका पर सुनवाई टली

**रांची.** हाइकोर्ट में शुक्रवार को सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई नहीं हो पायी. जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में मामला सूचीबद्ध था, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो पायी. हालांकि पूर्व में अदालत द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी निशिकांत दुबे ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है. उनके नेतृत्व में वर्ष 2009 में देवघर में धरना-प्रदर्शन किया गया था. कई घंटे सड़क जाम रही. पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसमें निशिकांत दुबे को भी आरोपी बनाया गया. निचली अदालत ने उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. इसके बाद उन्होंने रिवीजन याचिका दायर की, वह भी खारिज हो गयी. इस आदेश को प्रार्थी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है.

## आप का भाजपा नेताओं पर आरोप

**रांची.** आप पार्टी के नेताओं ने कहा है कि सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर लूटी गयी जमीन को लेकर रघुवर सरकार के द्वारा की कार्रवाई का पार्टी समर्थन करती है. लेकिन इस राज्य में सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और नौकरशाहों ने सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदी है. पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मुंडा ने आरोप लगाया कि भाजपा के राज्यसभा सांसद समीर उरांव और विधायक रामकुमार पाहन ने गलत तरीके से जमीन खरीदी है. आम आदमी पार्टी के नेता शुक्रवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात कर रहे थे. इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत कर श्री मुंडा ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग सरकार से की है. मामले को लेकर पार्टी ने राष्ट्रपति, पीएम, सीएम, डीसी रांची और एसएसपी को शिकायत पत्र सौंपा है. मौके पर पवन पांडेय, परवेज शहजाद, राजन कुमार सिंह मौजूद थे.

**कार्रवाई** ● ऐसे पद पर पदस्थापित कर दिया गया, जो वेतन के लिए सरकार से स्वीकृत ही नहीं है

# को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले के व्हिसल ब्लोअर का वेतन बंद

**विशेष संवाददाता** ▷ रांची

सरकार ने को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले के व्हिसल ब्लोअर सुशील कुमार का वेतन बंद कर रखा है. वेतन बंद करने के लिए किसी प्रकार के आरोप के बदले ट्रांसफर-पोस्टिंग का सहारा लिया गया है. को-ऑपरेटिव बैंक में हुई गड़बड़ी की शिकायत करने के तीन सप्ताह बाद उन्हें ऐसे पद पर पदस्थापित कर दिया गया जो वेतन के लिए सरकार से स्वीकृत ही नहीं है. इसलिए 11 माह से उन्हें वेतन नहीं मिला है.

सहकारिता सेवा के अधिकारी सुशील कुमार को सरकार ने 21 जून 2018 को आदेश जारी कर झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव लैक मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट फेडरेशन (झासकोलैम्फ) के प्रबंध निदेशक के पद पर पदस्थापित किया. साथ ही को-ऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक और झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव फेडरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा. यह बात उल्लेखनीय है कि इन तीन पदों में से सिर्फ प्रबंध निदेशक झासकोलैम्फ का पद ही सरकार के स्तर से वेतन के लिए स्वीकृत है. इसलिए बैंक के महाप्रबंधक और स्टेट को-ऑपरेटिव फेडरेशन के प्रबंध निदेशक के पद पर वेतन नहीं मिलता है. सुशील कुमार ने 21 जून 2018 को जारी आदेश के आलोक में तीनों पदों पर अपना योगदान दिया. बैंक के महाप्रबंधक के रूप में काम करने के दौरान उन्हें वित्तीय अनियमितता के अलावा मरम्मत और खरीद के नाम पर गड़बड़ी से जुड़े सबूत मिले. इसके बाद उन्होंने दो जुलाई को रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव को एक पत्र लिखा. इसमें उन्होंने पकड़ में आयी गड़बड़ियों का उल्लेख करते हुए बड़े पैमाने पर जांच कराने का अनुरोध किया. रजिस्ट्रार ने इसे विभागीय सचिव के पास भेजा. सचिव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सात जुलाई को विस्तृत जांच का आदेश दिया. साथ ही समिति का गठन किया. दूसरी तरफ 30 जुलाई को सुशील कुमार के तबादले का आदेश जारी हुआ. इसमें बहुत ही चालाकी से सुशील कुमार को झासकोलैम्फ के प्रबंध निदेशक के पद से तबादला करते हुए झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव फेडरेशन के प्रबंध निदेशक के पद पर पदस्थापित किया. साथ ही को-ऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक को-ऑपरेटिव बैंक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा. जबकि यह दोनों ही पद पहले से उनके पास अतिरिक्त प्रभार के रूप में था. दोनों पद वेतन के लिए स्वीकृत नहीं है. इसलिए उन्हें जुलाई 2018 के बाद से वेतन नहीं मिला है.

- वेतन बंद करने के लिए किसी आरोप के बदले ट्रांसफर पोस्टिंग का सहारा लिया गया
- सिर्फ एमडी झासकोलैम्फ का पद ही वेतन के लिए स्वीकृत है